श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–24.06.2014 को 01:00 बजे अपराह्न कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1.0 उपस्थिति

पंजी के अनुसार।

2.0 कार्यवाही

आज दिनांक–24.06.2014 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस जिले में किये गये विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

2.1 नियमित टीकाकरण

(क) उपर्युक्त विषय की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Planned Session के विरूद्ध नियमित Session नहीं हो रहा है और पृच्छा करने पर सिविल सर्जन द्वारा ऐसे ए.एन.एम. पर की गई कार्रवाई के संबंध में सन्तोषप्रद जबाब नहीं दिया गया।

(ख) पृच्छा किए जाने पर कि क्या प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ए.एन.एम. पदस्थापित हैं, के संबंध में सिविल सर्जन के द्वारा नकारात्मक जबाब दिया गया।

उन्हें निदेशित किया गया कि **दिनांक–30.06.2014 तक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्वास्थ्य उप केन्द्र पर एक ए.एन.एम. पदस्थापित हों। इसके अतिरिक्त जिले के दूरस्थ एवं कठिन इलाकों में दो ए.एन.एम. की प्रतिनियुक्ति सिविल सर्जन सुनिश्चित करेंगी।**

(ग) यह अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है कि पूर्वी चम्पारण जिले में नियमित टीकाकरण मात्र 57 प्रतिशत है, जो पूरे बिहार के न्यूनतम प्रतिशत में से एक है। स्वास्थ्य उप केन्द्र पर ए.एन.एम. का नहीं रहना, पदस्थापित ए.एन.एम. के द्वारा नियमित टीकाकरण में रूचि नहीं लेना, Planned Session कार्यरत नहीं किया जाना, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य चिकित्सकों के द्वारा स्थल निरीक्षण नगण्य होना, स्पष्ट रूप से इसका मुख्य कारण परिलक्षित होता है।

उपरोक्त के आलोक में सिविल सर्जन को निदेशित किया जाता है कि **वे प्रतिदिन 02 स्वास्थ्य उप केन्द्र का स्थल निरीक्षण करते हुए प्रत्येक माह कुल–60 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का स्थल निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगी। इसी तरह जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों से स्थल निरीक्षण कराना सुनिश्चित कराएँगी एवं सिविल सर्जन कार्यालय में भी पदस्थापित चिकित्सकों से भी स्थल निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही, इन निरीक्षणों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगी।**

2.2 आउट सोर्सिंग

विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डलीय अस्पतालों एवं जिला अस्पताल में आउट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सेवाएँ दी जा रही हैं। उपर्युक्त सेवाओं की प्रतिदिन समीक्षा आवश्यक है। **इन सेवा प्रदायी संस्थानों द्वारा अगर अपने कर्त्तव्यों के प्रति**

लापरवाही बरती जाती है तो इन एजेन्सियों पर Penalty लगाने एवं अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

सिविल सर्जन द्वारा स्वयं बताया गया कि कतिपय एजेन्सी का कार्य असन्तोषप्रद है, परन्तु विगत 06 माहों में इन एजेन्सी के विरूद्ध प्रतिदिन की गई कार्रवाई के संदर्भ में शून्य प्रतिवेदन बताया गया। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

सिविल सर्जन इन एजेन्सियों के संबंध में प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगी एवं गलती पाए जाने पर अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगी एवं इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगी।

2.3 दवा की उपलब्धता एवं चिकित्सकों/कर्मचारियों की अनुपस्थिति

दिनांक–20.06.2014 को हुई समीक्षा बैठक में दवा की उपलब्धता एवं चिकित्सकों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी की तरफ से आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। उपर्युक्त अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–24.06.2014 तक अधोहस्ताक्षरी को अप्राप्त है। **सिविल सर्जन इस संदर्भ में जरूरी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।**

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा की उपलब्धता के लिए प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सीधे रूप से जिम्मेवार होंगे। **सिविल सर्जन शत–प्रतिशत इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।**

2.4 परिवार नियोजन

परिवार नियोजन सरकार की एक अहम प्राथमिकता है। इस संबंध में इस जिले को दिये गये वार्षिक लक्ष्य का अब तक 01 प्रतिशत भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

उपर्युक्त विषय पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार आवश्यक कार्रवाई किया जाय। इसके लिए सिविल सर्जन प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगी और लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। यह जरूरी है कि आशाओं द्वारा परिवार नियोजन के मामलों की पहचान की जाय। इसके लिए सिविल सर्जन अपने स्तर से आशावार अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगी। आशाओं के द्वारा वांछित कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

2.5 सिजेरियन सेक्शन

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सदर अस्पताल में एक सिजेरियन सेक्शन चल रहा है, जिसमें मई, 2014 में मात्र 11 सिजेरियन ऑपरेशन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्वी चम्पारण एक बड़ा जिला है एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन किया जाना आवश्यक है, जिस पर **एक महिला चिकित्सक, एनेथेसिया, महिला ट्रेंड नर्सेज तथा ब्लड आपूर्ति की व्यवस्था सिविल सर्जन अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगी और जिले में चार केन्द्रों पर सिजेरियन ऑपरेशन कराएँगी। इसका** सतत् अनुश्रवण सिविल सर्जन सुनिश्चित करेंगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1250/गो0, दिनांक 26-6-14

प्रतिलिपि सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अस्पताल अधीक्षक/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डी0पी0एम0, जिला स्वास्थ्य समिति/प्रखंड अस्पताल प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1250/गो0, दिनांक 26-6-14

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।